प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

युगलपीठ:माननीय श्री टी.पी.शर्मा, न्यायमूर्ति एवं

माननीय श्री आर.एन.चंद्राकर, न्यायमूर्ति

<u>दांडिक अपील क्रमांक 938/2005</u>

अपीलार्थी नोखराम
पिता भानुराम राठरे, उम्र लगभग 46 वर्ष,
निवासी हसौद, पुलिस चौकी हसौद, आरक्षी केंद्र- जैजैपुर,
जिला जांजगीर,चांपा (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन ,
द्वारा पुलिस चौकी हसौद, पुलिस थाना जैजैपुर,
जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)

(अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: अपीलार्थी की ओर से श्री एच.एस.पटेल, अधिवक्ता
राज्य शासन की ओर से श्री संदीप यादव, उप शासकीय अधिवक्ता

<u>मौखिक निर्णय</u>

(25-11-2010 को घोषित)

टी.पी. शर्मा (न्यायमूर्ति) के अनुसार

1. इस अपील में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सक्ति के सत्र प्रकरण क्र. 25/2005 में दिनांक 30-11-2005 को दिए गए निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके तहत अपीलार्थी को भानुराम की आपराधिक मानववध के लिए दोषी ठहराने के बाद, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भा.द.वि. की धारा 302 के तहत सिद्धदोष ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास व 500 रुपये का अर्थदंड अदा करने की सज़ा सुनाई, अर्थदंड अदा करने में व्यतिक्रम किये जाने पर तीन माह की अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेशित किया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अपीलार्थी के दोषसिद्धि को इस आधार पर आक्षेपित किया गया है कि के बिना किसी लेषमात्र साक्ष्य के अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराया और दंडादिष्ट किया और इस तरह अवैधता कारित किया।

3. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, यह है कि दिनांक 19-9-2004 को दोपहर करीब 1.00 बजे, जब अपीलार्थी/अभियुक्त के पिता भानुराम, पदुमन बस स्टैंड, हसौद की पान की दुकान के पास बैठे थे, तो अपीलार्थी कुल्हाड़ी लेकर आया और अपने पिता के शरीर के सिर, गर्दन और हाथ पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उनके पिता गिर गए। यह घटना अ.सा./1 निरंजन और अ.सा./15 बलराम सतनामी ने प्रत्यक्षतः देखी एवं निरंजन, पदुमन और रघु घायलों को पुलिस थाना हसौद ले गए।

4. निरंजन(अ.सा./1)के शिकायत पर पुलिस चौकी हसौद में शुन्य पर प्र.सू.रि./प्राथमिकी दर्ज किया गया और अंत में प्र.पी./1 के अध्यधीन पुलिस थाना जैजैपुर में प्र.सू.रि./प्राथमिकी दर्ज कराई। आहत को, घायल और बेहोशी की हालत में शासकीय अस्पताल, जैजैपुर में चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया, जहाँ डॉ.(श्रीमती)शशि प्रभा (अ.सा./14) ने प्र.पी./22 के ज़रिए उसकी जांच की और तीन चोटें पाईं (i) दाहिने कनपटी पर 6 सेमी **x** $1^{1/2}$ सेमी आकार फटा हुआ घाव (ii) गर्दन के पिछले हिस्से में $1^{1/2}$ सेमी ½ सेमी **x** 0.5 सेमी आकार का कटा हुआ घाव और (iii) दाहिने हाथ के बाजु पर 2 सेमी **x** 2 सेमी आकार का फटा हुआ वाला घाव पाया गया। इसके बाद उसे छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स, बिलासपुर को निर्दिष्ट करते हुए भेज दिया गया, जहाँ दिनांक 25-9-2004 को उसकी मृत्यु हो गई और मर्ग सूचना सिटी कोतवाली, बिलासपुर को प्र.पी./17 के ज़रिए भेजी गई और मर्ग प्र.पी./16 के अध्यधीन दर्ज किया गया। प्र.पी./5 के ज़रिए साक्षियों को आहुत करने के बाद, साक्षियों की उपस्थिति में मृतक की मृत्यु समीक्षा प्र.पी./6 के अध्यधीन तैयार की गई। इसके बाद, मृतक की शव को शव परीक्षा के लिए सिम्स, बिलासपुर प्र.पी./25 के ज़रिए भेजा गया, जहाँ डॉ. प्रीतम साहनी (अ.सा./19) ने शव परीक्षण प्र.पी./28 किया और पाया कि चोट वैसी ही है जैसी आक्षेपित निर्णय के कंडिका 6 में वर्णित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अन्वेषण के दौरान, मृतक के बयान के बारे में घायल का पंचनामा प्र.पी.2 के ज़रिए तैयार किया गया। राजस्व निरीक्षक ने प्र.पी./4 के ज़रिए घटना स्थल का नक्शा तैयार किया। अभियुक्त से अपराध में इस्तेमाल हथियार कुल्हाड़ी प्र.पी./9 के ज़रिए ज़ब्त की गई। शवपरीक्षा के बाद खून से सना तौलिया, बनियान और लुंगी को प्र.पी./12 के ज़रिए जब्त किया गया। ज़ब्त की गई चीज़ों को प्र.पी./18 के अध्यधीन रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया और जिसका प्रतिवेदन प्र.पी./32 है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अन्वेषण पूरी होने के बाद, अपीलार्थी के विरुद्ध अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सक्ति के न्यायालय में अभियोगपत्र दाखिल किया गया, जिन्होंने प्रकरण को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सक्ति के न्यायालय को उपार्पित कर दिया। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण को अंतरण पर प्राप्त किया, जिन्होंने अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप विरचित किया, जिसने अपराध किये जाने से अस्वीकार किया।

7. अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 23 साक्षियों का परीक्षण कराया। इसके बाद अभियुक्त का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन मामले में अपने विरुद्ध परिलक्षित वाले परिस्थिति से इनकार किया तथा खुद को निर्दोष व झूठे

फंसाए जाने की अभिवाक किया। अभियुक्त ने विशेष बचाव में कहा है कि वह घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं था।

8. विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराया और निर्णय के प्रथम कंडिका में उल्लेखित अनुसार दंडादिष्ट किया।

9. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित हुए श्री एच.एस.पटेल अधिवक्ता ने आवेगपूर्वक तर्क किया कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि अ.सा./1 निरंजन और अ.सा./15 बलराम सतनामी के साक्ष्य पर आधारित है, जिनके साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं और कोई भरोसा नही दिलाता। ऊपर बताए गए दोनों साक्षियों के अपीलार्थी के साथ खराब व तनावपूर्ण संबंध थे और उन्होंने वर्तमान अपीलार्थी को विचाराधीन अपराध में झूठा फंसाया है। वर्तमान अपीलार्थी अपराध घटित होते समय मौके पर मौजूद नहीं था। अपने बचाव में 'अन्यत्र उपस्थिति' के अभिवाक को साबित करने के लिए, उसने बचाव साक्षी (ब.सा./1 भुवनलाल साहू का परीक्षण कराया, जिसने अभिकथित किया कि निरंजन (अ.सा./1) और पदुमन (अ.सा./2) के बीच तीखी बहस हुई थीं, जिसे मृतक भानुराम ने सुलझाने की कोशिश की थी। इसलिए, वह अखबार लेने के लिए अपीलार्थी के घर गया और उसके पाँच मिनट बाद ही उसने शोरगुल की आवाज़ सुनी और घटनास्थल पर पहुँचा जहाँ भानुराम घायल हालत में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पड़ा था और उसे पदुमन, प्रमोद और उसकी माँ अस्पताल ले गए। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि स्वतंत्र साक्षियों से किसी भी तरह की संपुष्टि न होने पर, निरंजन (अ.सा./1) और बलराम सतनामी (अ.सा./15) के साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं।

10. इसके विपरीत, राज्य शासन की ओर से उपस्थित हुए उप शासकीय अधिवक्ता श्री संदीप यादव ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और जोर देकर अभिव्यक्त किया कि निरंजन अ.सा./1 और बलराम सतनामी (अ.सा./15) घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं और उनके साक्ष्य अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराने के लिए पर्याप्त हैं, हालाँकि वे मृतक के निकट सम्बंधी हैं और अपीलार्थी भी भानुराम का बेटा है, इसलिए, रिश्ते के आधार पर उनके साक्ष्यों को त्यक्त नहीं किया जा सकता और उनके साक्ष्यों पर शंका करने का कोई कारण नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अभियुक्त /अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराकर व दंडादिष्ट कर उचित व सही निर्णय दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और विचारण न्यायालय के अभिलेख और आक्षेपित निर्णय का भी अवलोकन किया।

12. विचारण न्यायालय ने अ.सा./1 निरंजन व अ.सा./15 बलराम सतनामी के साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराया है।

13. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की तर्कों का मूल्यांकन करने के लिए, हमने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की परीक्षण किया।

14. इस मामले में अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपनी अन्यत्र उपस्थिति का यह बचाव लिया है कि वह अपराध घटित होते समय घटनास्थल पर उपस्थित या मौजूद नहीं था। उसने ब.सा./1 भुवनलाल साहू का परीक्षण कराया, जिसने बयान दिया है कि दिनांक 19/09/2004 को लगभग 12:30 बजे निरंजन (अ.सा./1) और पदुमन (अ.सा./2) आपस में झगड़ रहे थे और भानुराम विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद वह अखबार लेने के लिए अपीलार्थी के घर गया और पाँच मिनट बाद जब उसने शोरगुल की आवाज़ सुनी, तो वह घटनास्थल पर पहुँचा जहाँ भानुराम घायल अवस्था में फ़र्श पर पड़ा था और उस समय निरंजन (अ.सा./1) मौके पर मौजूद नहीं था। उसने गाँव में सुना कि निरंजन (अ.सा./1) और पदुमन (अ.सा./2) ने भानुराम की हत्या की है। अपने विस्तृत प्रति परीक्षण व मुख्य परीक्षण में, उसने अपीलार्थी के अपने घर में मौजूद होने के बारे में कुछ नहीं कहा है जब यह गवाह अपीलार्थी के घर गया था। अन्य बातों के साथ साथ, उसने अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 4 में स्वीकृति दी है कि घटना के घटित होने समय, वह (यह गवाह) मौके पर मौजूद नहीं था। उसका साक्ष्य प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपीलार्थी घटना के समय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपने घर में मौजूद था या घटनास्थल के अलावा कहीं और मौजूद था, इसलिए, भुवनलाल साहू ब.सा./1 का साक्ष्य अपीलार्थी के किसी उपयोग का नहीं है।

15. भानुराम की मानव वध से मृत्यु पर कोई विवाद नहीं है और यह निरंजन (अ.सा./1), बलराम सतनामी (अ.सा./15) और डॉ. प्रीतम साहनी (अ.सा./19) के साक्ष्य से साबित होता है, जिन्होंने प्र.पी./28 के अध्यधीन मृतक भानुराम का शव परीक्षण किया था।

16. निरंजन (अ.सा./1) के साक्ष्य के अनुसार, जिसने पुलिस थाना में प्र.पी./1 के जरिये प्र.सू.रि./प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जब उसके पिता भानुराम पदुमन (अ.सा./2) की पान की दुकान के पास बैठे थे, तो उसका छोटा भाई, अपीलार्थी, कुल्हाड़ी लेकर वहां आया और अपने पिता के सिर, गर्दन और हाथ पर वार किया, जिससे उसके पिता गिर गए। इसके बाद, वह अपने पिता को शासकीय अस्पताल जैजैपुर, शासकीय अस्पताल, चांपा और आखिर में सिम्स, बिलासपुर ले गया, जहां उसके पिता की मौत हो गई। अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 10 और 12 में उसने विशेष रूप से अभिकथित किया है कि उसने घटना देखी है और इस सुझाव से इनकार किया है कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. घटना बाज़ार के पास हुई और बलराम सतनामी अ.सा./15 ने बयान दिया है कि उसने अपीलार्थी को भानुराम को चोट पहुँचाने के बाद कुल्हाड़ी लेकर

घटनास्थल से भागते हुए देखा था। अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 3 में उसने स्वीकृति दी है कि भानुराम उसका नाना था। अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 4 में उसने विशेष रूप से अभिकथन किया है कि उसने घटना देखी है और अपीलार्थी ने भानुराम को चोट पहुँचाई है। हालांकि दूसरे साक्षी पदुमन अ.सा./2 ने बयान दिया है कि डॉ. लोयन के भतीजे ने उसे बताया कि अपीलार्थी अपने पिता भानुराम से झगड़ा कर रहा था और जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने देखा कि अपीलार्थी उसे चोट पहुँचाने के बाद घटनास्थल से भाग रहा है और उसके पिता घायल अवस्था में फर्श पर पड़े थे, इसलिए बचाव पक्ष उनकी परिसाक्ष्य को त्यक्त करने के लिए उसके प्रति परीक्षण में कुछ भी सार नहीं निकाल पाया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. अन्य साक्षीगण मोहनलाल सतनामी-अ.सा./3, भरतलाल कश्यप - अ.सा./4, और हरिशंकर श्रीवास अ.सा./5 ने बयान दिया है कि उन्होंने निरंजन (अ.सा./1) से सुना कि अपीलार्थी ने उसके पिता भानुराम पर कुल्हाड़ी से हमला किया। निरंजन अ.सा./1 ने अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 12 में अभिकथित किया है कि उसने अभियुक्त /अपीलार्थी से कुल्हाड़ी छीन ली और उसे पुलिस के सामने पेश किया, किन्तु पुलिस ने निरंजन अ.सा./1 से कोई कुल्हाड़ी ज़ब्त नहीं की है। अन्य बातों के साथ साथ, पुलिस ने अभियुक्त /अपीलार्थी से प्र.पी./9 के जरिये कुल्हाड़ी ज़ब्त कर ली थी। इस तरह, उसके सम्पूर्ण साक्ष्य को दूसरे साक्षियों

से संपोषित किये हुए, उसकी परिसाक्ष्य को सिर्फ़ इस आधार पर त्यक्त नहीं किया जा सकता कि कुल्हाड़ी उससे ज़ब्त नहीं की गई थी, बल्कि अभियुक्त /अपीलार्थी से ज़ब्त की गई थी।

19. "एक बात में मिथ्या तो सब में मिथ्या" (फाल्सस इन उनो,फाल्सस इन ओम्निबस) वाली सूत्र वाक्य भारत में लागू नहीं होती। किसी भी साक्षी के साक्ष्य कथन को इस आधार पर पूरी तरह त्यक्त या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि साक्षियों ने एक या ज़्यादा अभियुक्त को स्पष्टतया व कपटपूर्वक फंसाया है या उसका साक्ष्य कथन कुछ अभियुक्त के लिए विश्वसनीय नहीं है। किसी साक्षी के साक्ष्य कथन पर कुछ अभियुक्त के लिए विश्वास किया जा सकता है और कुछ अभियुक्त के मामले में उसे त्यक्त या अस्वीकृत किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. किसी व्यक्ति ने अतिश्योक्तिपूर्ण और कुछ सीमा तक स्पष्ट तौर पर झूठा साक्ष्य कथन दिया है, उसके साक्ष्य कितने विश्वसनीय हैं, इस प्रश्न पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने **लक्ष्मण और अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य**[1] के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि साक्षियों को पूर्णतया मिथ्यावादी पहचान से विशेषीकृत नहीं कहा जा सकता और उनकी बयान को स्पष्ट तौर से अस्वीकृत नहीं

1 ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 308

किया जा सकता, भले ही उसके साक्ष्य कथन के कुछ हिस्से प्रत्यक्ष तौर पर त्रुटिपूर्ण या संदेहास्पद हों। सुसंगत हिस्सा इस तरह है:

"इससे पहले कि हम साक्ष्यों पर और विचार विनिमय करें, हम देख सकते हैं कि प्रोफेसर मुंस्टरबर्ग ने "ऑन द विटनेस स्टैंड"(पेज.51), "लॉ एंड द मॉडर्न माइंड"(देखें: 1949-संस्करण, पेज 106) किताब में ऐसे प्रयोग संचालित किये दिए है जिनमें लोगों के सामने अप्रत्याशित, पूर्वनियोजित उपकथा(घटना)अभिनीत कर दिखाए गए, और तदुपरांत उनसे जल्द ही लिखने के लिए कहा गया कि उन्होंने क्या देखा और सुना। इसका नतीजा चकित करने वाला यह था:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"उन लोगों के मुंह में शब्द डाले गए जो पूरे छोटे से उपकथा (घटना) के दौरान मौन तमाशबीन बने हुए थे; मुख्य प्रतिभागियों पर ऐसे कामों का आरोप मढ़ा गया जिनका न्यून असर भी अस्तित्व में नहीं था; एवं अनेक साक्षियों की स्मृति से,कारुणिक हास्य के आवश्यक हिस्से,पूरी तरह विलोपित कर दिए गए थे"।

इसलिए, प्रोफेसर ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे:"हम कभी नहीं जानते, या कल्पना नहीं करते"। अतएव, साक्षियों को मिथ्यावादी

पहचान से विशेषीकृत नहीं कहा जा सकता और उनकी साक्ष्यों को स्पष्ट तौर से अस्वीकृत नहीं किया जा सकता, भले ही उनके साक्ष्य कथनों के कुछ हिस्से प्रमाणपुर्वक पर त्रुटिपूर्ण या संदेहास्पद हों। दक्ष न्यायाधीश अतिरंजित व असम्भवता युक्त बातों के भूसे से ग्राह्यता युक्त सच के दानों को अलग कर सकता है, जिन्हें सुरक्षित या विवेकपूर्णतया स्वीकृत या उन पर अमल नहीं किया जा सकता। यह एक सामान्य बुद्धि है कि अधूरी इंसानी बयान की कीमत का आवश्यक रूप से मूल्यांकन करने में, यांत्रिक तरीके से इस सूत्र वाक्य "एक बात में मिथ्या तो सब में मिथ्या" (फाल्सस इन उनो, फाल्सस इन ओम्निबस) को लागू करने से मना कर दिया जाए:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. **सुच्चा सिंह एवं एक अन्य विरुद्ध पंजाब राज्य**[2] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "एक बात में मिथ्या तो सब में मिथ्या"(फाल्सस इन उनो, फाल्सस इन ओम्निबस) सूत्र वाक्य को आम तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है और न ही इस सूत्र वाक्य को विधि का नियम दर्जा दिया गया है। यह सिर्फ़ सतर्कता का नियम है। इसका सारांश यह है कि ऐसे मामलों में साक्ष्यों की अनदेखी किया जा सकती है, न कि इसे नज़रअंदाज़ किया

2ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 3617

जाना चाहिए। इस सिद्धांत में केवल साक्ष्य के महत्व का प्रश्न शामिल है जिसे न्यायालय कुछ विशेष परिस्थिति में लागू कर सकता है, किन्तु इसे 'साक्ष्य का अपरिहार्य नियम' नहीं कहा जा सकता। इस निर्णय का कंडिका 18 इस तरह है:

"18. पंजाब राज्य विरुद्ध जागीर सिंह (ए.आई.आर.1973 एस.सी.2407) और लहना विरुद्ध हरियाणा राज्य {2002(3) एस.सी.सी.76} के निर्णय में भी यही बात कही गई थी। अभियुक्त -अपीलार्थी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कुछ साक्षियों ने सम्पूर्ण अभियोजन मामला को खारिज करने की वांछनीयता के बारे में जो साक्ष्य दिए थे, उन्हें स्वीकार नहीं किया गया।,प्रार्थना के सारवस्तु में "फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ओम्निबस" ("एक बात में मिथ्या तो सब में मिथ्या") के सिद्धांत को लागू करने की है। यह अभिवाक साफ़ तौर पर अपुष्ट व असमर्थनीय है।

यदि साक्ष्य का अधिकतर भाग दोषयुक्त पाया जाता है, तो भी यदि अभियुक्त का दोषी साबित करने के लिए अवशेष साक्ष्य पर्याप्त है, तो कई दूसरे सह-अभियुक्तों के दोषमुक्त होने के बावजूद, उसकी दोषसिद्धि यथावत रखी जा सकती है। अनाज को भूसे से अलग करना न्यायालय का कर्तव्य है। जहाँ अनाज से भूसा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अलग किया जा सकता है, वहाँ न्यायालय के लिए यह खुला विकल्प होगा कि वह अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराए, भले ही दूसरे अभियुक्तों का दोषी साबित करने के लिए साक्ष्य न्यून पाए गए हों। किसी विशेष ज़रूरी साक्षी या विशेष सक्ष्यिक सामग्री की असत्यता इसे प्रारंभ से अंत तक नाश अथवा बर्बाद नहीं करेगा।

"फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ओम्निबस"("एक बात में मिथ्या तो सब में मिथ्या") वाली सूत्रवाक्य भारत में लागू नहीं होती और साक्षियों को झूठा या मिथ्यावादी कहकर विशेषीकृत नहीं कहा जा सकता। "फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ओम्निबस"("एक बात में मिथ्या तो सब में मिथ्या") वाली सूत्रवाक्य को सामान्यतया स्वीकार्यता नहीं मिली है और न ही इस सूत्रवाक्य को विधि का शासन के रूप मान्यता हासिल किया है। यह सिर्फ़ सतर्कता का नियम है। अंततः इसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि ऐसे मामलों में साक्ष्यों को उपेक्षा या नज़रअंदाज़ किया जा सकता है, न कि उसे नज़रअंदाज़ किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत में सिर्फ़ साक्ष्यों के महत्त्व का प्रश्न शामिल है, जिसे न्यायालय मौजूदा परिस्थिति के समूह में प्रयोग कर सकता है, किन्तु इसे 'साक्ष्य का बाध्यकारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नियम' नहीं कहा जा सकता। {देखें निसार अली विरुद्ध उ.प्र.राज्य ए.आई.आर.1957 एस.सी.366}। सिर्फ़ इसलिए कि कुछ अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया है, भले ही उन सभी के विरुद्ध साक्ष्य, जहाँ तक प्रत्यक्ष बयान का प्रश्न है, यह एक स्वाभाविक आवश्यक परिणाम नही था, कि जिन्हें सिद्धदोष ठहराया गया है, उन्हें भी दोषमुक्त कर दिया जाना चाहिए। न्यायालय के लिए यह सदैव खुला विकल्प है कि वह दोषमुक्त किए गए अभियुक्तों और सिद्धदोष ठहराए गए अभियुक्तों में स्पष्ट अंतर करे। (देखें गुरचरण सिंह और एक अन्य विरुद्ध पंजाब राज्य (ए.आई.आर.1956एस.सी.460) विशेषकर भारत में, यह मत भयानक है क्योंकि यदि साक्ष्य अभिकथन के सम्पूर्ण भाग को इसलिए अस्वीकृत कर दिया जाए, क्योंकि साक्षी किसी न किसी मामले में साफ तौर पर मिथ्या कथन कर रहा था, तो यह आशंकित करने वाला है कि आपराधिक न्याय का प्रशासनपूरी तरह से रुक जाएगा। साक्षी किसी कहानी को और मज़बूत करने में मदद नहीं कर सकते, अपितु कुछ न कुछ बढ़ा-चढ़ाकर बताते ही हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह सच है। वस्तुतः, हर मामले में यह देखना होगा कि साक्ष्य किस हद तक स्वीकार योग्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हैं, और केवल इसलिए कि कुछ मामलों में न्यायालय साक्षी का साक्ष्य पर विश्वास करने के लिए उसे पर्याप्त नहीं मानता, यह आवश्यक रूप से विधि अननुरूप नहीं है कि उसे हर मामले में उपेक्षित कर दिया जाए। साक्ष्य को सतर्कता से जांचना होगा। ऊपर बताई गई सूक्ति एक सही नियम नहीं है इस कारण से कोई साक्षी बड़ी मुश्किल से ही मिलता है, जिसके साक्ष्य झूठ का एक कण भी न हो और किसी भी हालत में अतिशयोक्तिपूर्ण, मनोहारी व अलंकरणयुक्त न हो [देखें सोहराब पिता बेली नायता व एक अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य {1972 (3) एस.सी.सी. 751} और उगर अहीर और अन्य ब विरुद्ध नाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1965 एस.सी.277)]। जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक आनंददायक रूपांतर के संदर्भ में, अनाज को भूसे से, सत्य को असत्यता से अलग करने की प्रयास करनी चाहिए। जहाँ सत्य को असत्यता से अलग करना असाध्य हो, क्योंकि अनाज और भूसा एक-दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं, और पृथक्करण की प्रक्रिया में, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गए आवश्यक विवरणों को उस संदर्भ और पृष्ठभूमि से पूरी तरह अलग करके एक बिल्कुल नये मामले का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पुनर्गठन करना होगा जिसके विरुद्ध उन्हें बनाया गया था, एकमात्र उपलब्ध कार्यप्रणाली यह है कि साक्ष्यों को संपूर्णतः त्यक्त कर दिया जाए। {ज़िंगली एरियल विरुद्ध म.प्र.राज्य (देखें ए.आई.आर.1954 एस.सी.15) तथा बालाका सिंह एवं अन्य विरुद्ध पंजाब राज्य (ए.आई.आर. 1975 एस.सी. 1962) }। जैसा कि इस न्यायालय ने राजस्थान विरुद्ध श्रीमती कल्की व एक अन्य (ए.आई.आर. 1981 एस.सी.1390) में मताभिव्यक्ति दी थी, साक्ष्य में सामान्य विसंगतियां वे होती हैं जो समय बीत जाने के, स्मृति की सामान्य त्रुटियों के कारण होती है, मानसिक प्रवृत्ति के कारण घटना के समय सदमा और भय होता है और यह हमेशा बना रहता है, चाहे साक्षी कितना भी ईमानदार और सत्यवादी क्यों न हो। भौतिक विसंगतियां वे हैं जो सामान्य नहीं हैं, और एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षित नहीं हैं। न्यायालयों को उस श्रेणी को सूचक पत्र में वर्गीकृत करना होगा जिसमें किसी विसंगति को श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। जबकि सामान्य विसंगतियां किसी पक्ष के मामले की विश्वसनीयता को कम नहीं करती हैं, भौतिक विसंगतियां ऐसा करती हैं। इन पहलुओं को हाल ही में कृष्णा मोची एवं अन्य विरुद्ध बिहार राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एवं अन्य {2002 (4) जे.टी.(एस.सी.)186} में प्रकाश डाला गया था। इस मामले में अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोग स्पष्ट रूप से साबित किए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालयों ने दोषमुक्त व सिद्धदोष ठहराए गए अभियुक्तों के मामले में साक्ष्यों की विशेषतासूचक लक्षणों को स्पष्टतया बताए हैं।"

22. अ.सा./1 निरंजन का यह साक्ष्य कि उसने अपीलार्थी से कुल्हाड़ी छीनी, अलग से देखने पर गलत लग सकता है, किन्तु उसके बयान का बाकी हिस्सा अ.सा./2 पदुमन और अ.सा./15 बलराम सतनामी के बयान से संपोषित होता है। साक्षियों के ऊपर बताए गए साक्ष्यों के आधार पर, अधीनस्थ न्यायालय ने माना कि अपीलार्थी द्वारा सामान्य आशय से भानुराम की, आपराधिक मानव वध कारित करने से मृत्यु हुई। इन तथ्यों पर विचार करते हुए कि अपीलार्थी ने, भानुराम के शरीर यानी सिर, गर्दन और हाथ पर कुल्हाड़ी से बार-बार वार करते हुए चोटें पहुंचाईं, अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधिगत, निर्णायक और विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित है जो विधि अनुसार कायम रखे जाने योग्य होकर धारणीय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. सम्पूर्ण साक्ष्यों व प्रमाणों की सूक्ष्म संवीक्षा करने पर, हमें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराने व दंडादिष्ट करने में कोई अवैधता या दुराग्रह नहीं मिला।

24. फलस्वरूप, अपील गुणहीन है, तथापि अस्वीकृत किये जाने योग्य है और तदअनुसार इसे खारिज किया जाता है।

हस्ताक्षरित /-
टी.पी. शर्मा
न्यायमूर्ति

हस्ताक्षरित /-
आर.एन. चंद्राकर
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by : Tapan Kumar Saha, Advocate